अमर उजाला

56 किलो नकली पनीर बरामद

Updated Thu, 16 Jan 2020 10:27 PM IST

बठिंडा से लाए गए पनीर की जांच करते सहायक कमिश्नर फूड सेफ़्टी विभाग डा.हरजोतपाल सिंह व अन्य। - फोटो : KAPURTHALA

फूड सेफ्टी की सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी अधिकारी सतनाम सिंह पर आधारित टीम ने पुलिस चौकी काला संघिया थाना सदर की सूचना पर शक के आधार पर एक वाहन को रोककर 56 किलो नकली पनीर बरामद किया है। यह पनीर बंसल डेयरी अजीत नगर बठिंडा में बना हुआ था। वाहन चालक कम सेल्समैन सुखप्रीत सिंह निवासी जिला श्री मुक्तसर साहिब पनीर सप्लाई करने जा रहा था। पनीर पांच-पांच किलो के 10 पैकेट प्लास्टिक में लपेट कर दो आइसबॉक्स में रखा हुआ था। कुछ पनीर खुला था। फूड सेफ्टी की टीम के अनुसार यह पनीर नकली था। विभाग ने इस पनीर का सैंपल लेकर पनीर कब्जे में ले लिया और ठंडे तापमान में स्टोर करके रख दिया है। अगली कार्रवाई सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अमल में लाई जाएगी। हरजोतपाल सिंह ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अधीन पनीर में कम से कम मिल्क फैट की मात्रा 50 प्रतिशत होनी चाहिए और नमी की मात्रा अधिक से अधिक 60 प्रतिशत हो सकती है।

बढ़िया गुणवत्ता का पनीर मार्केट में करीब 300 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। कम फैट वाला पनीर बहुत ही सस्ते भाव करीब 150 रुपये में बेचा जाता है। लोगों को आशंका जाहिर करनी चाहिब यदि पनीर सस्ते भाव पर बिक रहा है तो यह निम्न स्तरीय हो सकता है।

Source: https://www.amarujala.com/punjab/jalandhar/56-kg-synthetic-paneer-recover-in-kapurthala-kapurthala-news-pkl3633585181